**Additional Information**

**Unstarred Assembly Question no. 20**

Hon’ble MLA, Kaithal has asked any proposal regarding making pucca service road on Kaithal Drain from Kaithal City-Kutubpur-Sajuma i.e. between RD 123880 to 66750. In this context, it is informed that there is no proposal under consideration of Irrigation and Water Resources Department, Haryana for making pucca service road of Kaithal drain from RD 123880 to 66750.

However, it is brought out that a work has already been taken by PWD (B&R) Department for making pucca service on bank of Kaithal Drain from RD 123880 to 108600. NOC in this reach was given to PWD (B&R) Department by Irrigation Department.

So, in future, if the work of construction of Pucca service road in the left-over reach from RD i.e. 108600 to 66750 is taken up PWD (B&R) Department, then a NOC will be again issued by I&WR, Department as per terms and condition of the policy. However, as far as the Irrigation Department concerned, the matter is not under consideration of the Irrigation &WR Department, as the construction of road does not falls under the mandate of I&WR, Haryana.

**अतिरिक्त सूचना**

**विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 20**

माननीय विधायक कैथल पूछ रहे हैं कि कैथल शहर से कुतुबपुर-सुजुमा के बीच की कैथल ड्रेन की बुर्जी संख्या 123880 से 66750 पर पक्की सर्विस रोड़ बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कैथल ड्रेन की बुर्जी संख्या 123880 से 66750 पर पक्की सर्विस रोड़ बनाने का कोई प्रस्ताव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के विचाराधीन नहीं है।

आगे, यह बताया जाता है कि कैथल ड्रेन की बुर्जी संख्या 123880 से 108600 तक के किनारे पर पक्का सर्विस रोड बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) द्वारा पहले ही शुरू कर दिया गया है। इस क्षेत्र में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी दे दिया गया था।

इसलिए, भविष्य में, यदि कैथल ड्रेन की बुर्जी संख्या 108600 से 66750 तक बची हुई पहुंच में पक्की सर्विस रोड़ के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) द्वारा किया जाता है तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नियमों और शर्तों के अनुसार फिर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, जहां तक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का सवाल है यह मामला सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है क्योंकि सड़क का निर्माण सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।